झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–3 वर्ष 2019

बिशु कुमार राणा उर्फ अमृतांशु कुमार राणा, उम्र लगभग 12 वर्ष, पे0–योगेन्द्र कुमार राणा, अपने प्राकृतिक अभिभावक (पिता) योगेन्द्र कुमार राणा, उम्र लगभग 41 वर्ष, पे0–स्व0 सेवाल राणा के द्वारा प्रतिनिधित्व, दोनों निवासी–क्वार्टर नं0–ई–2/9, 'ई' टाइप, डाकघर एवं थाना–, जिला–बोकारो (झारखण्ड ....
याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताभ के0 गुप्ता

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री एन0के0 पाण्डेय, अधिवक्ता।

राज्य के लिएः– श्री आनन्द कुमार पाण्डेय, ए0पी0पी0।

04/दिनांकः 13.03.2019

1. यह पुनरीक्षण, विद्वान ए0डी0जे0–सह–एफ0टी0सी0, बोकारो द्वारा आपराधिक अपील सं0 157/2018 में पारित दिनांक 13.12.2018 के आदेश के खिलाफ दायर किया गया है जिसके तहत याचिकाकर्त्ता द्वारा आई0ई0एल0 थाना काण्ड संख्या 18/2018 (जी0आर0 सं0 826/2018) में प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, बोकारो द्वारा पारित

दिनांक 04.09.2018 के आदेश के खिलाफ दायर की गई अपील को खारिज कर दिया गया था।

2. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्त्ता की आयु लगभग 12 वर्ष है और यह आरोप लगाया है कि उसने लगभग 8 वर्ष की आयु वाले पीड़ित के साथ मारपीट की थी। यह निवेदन किया गया है कि मैथुन और पीड़िता को मारने के इरादे से मारपीट का आरोप चिकित्सा रिपोर्ट द्वारा गलत ठहरा दिया गया है। यह कि आक्षेपित आदेश में यह उल्लेख है कि पीड़िता के शरीर के उपरी हिस्से और पेट में चोट थी। यह तर्क दिया गया है कि सामाजिक जांच रिपोर्ट में यह कहा गया है कि याचिकाकर्त्ता ने पीड़ित को थप्पड़ मारा था। यह निवेदन किया गया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376एबी के तहत अपराध नहीं बनाया गया है।

3. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने विरोध किया और प्रस्तुत किया कि पीड़ित ने दं0प्र0सं0 की धारा 164 के अधीन अपने बयान में कहा है कि याचिकाकर्त्ता ने उसके साथ बलात्कार किया था।

4. सुना गया है। आक्षेपित आदेश के अवलोकन पर यह प्रतीत होता है कि पीड़ित के निजी हिस्से पर कोई चोट नहीं पाई गई थी। पीड़ित के उपरी हिस्से और पेट पर चोट के निशान थे। उपस्थित तथ्यों में याचिकाकर्त्ता को आई0ई0एल0 थाना काण्ड संख्या 18/2018 (जी0आर0 सं0 826/2018) में प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, बोकारो के संतुष्टि के प्रति समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ 10,000/– रू0 की जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, इस शर्त के साथ कि याचिकाकर्त्ता के पिता एक वचन देंगे कि (i) वह याचिकाकर्त्ता की उचित देखभाल करेंगे (ii) वह यह सुनिश्चित करेंगे कि याचिकाकर्त्ता असामाजिक तत्वों के सम्पर्क में नहीं आये (iii) वह याचिकाकर्त्ता को प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जब भी बोर्ड द्वारा

निर्देशित किए जाते हैं। प्रोबेशन अधिकारी बोर्ड को पर्यवेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। 5. यह पुनरीक्षण, इसके द्वारा अनुज्ञात किया जाता है।

(अमिताभ के0 गुप्ता, न्याया0)